

कार्यालय: मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, 32, सिविल लाइन्स, मथुरा ।

वाद सं० 929/2017-18 व 378/2020-21 प्राधिकरण बनाम् महेश चन्द्र गुप्ता कुसुम वाटिका लिंक रोड एन.एच.-2 मथुरा में मै० केशवम डवलपर्स पार्टनर श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत गुरू कृपा विलास के तलपट मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 09.03.2021 को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान किये जाने के क्रम में मै० केशवम डवलपर्स पार्टनर श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायन अग्रवाल, खसरा नं० 341क, 341ख, 342क, 342ख, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 350क, 351 व 352 मौजा गोविन्दपुर, जिला-मथुरा द्वारा विकास शुल्क ₹ 1,86,56,820.00, विकास अनुज्ञा शुल्क ₹ 30,000.00, निरीक्षण शुल्क ₹ 2,61,300.00, शैल्टर शुल्क ₹ 28,38,600.00, एवं शमन शुल्क ₹ 9,93,016.00 अर्थात् कुल धनराशि ₹ 2,27,79,736.00 (रुपये दो करोड़ सत्ताईस लाख उनयासी हजार सात सौ छत्तीस मात्र) दिनांक 18.03.2021 को प्राधिकरण कोष में जमा कर दिये गये हैं। जिसकी पुष्टि लेखानुभाग द्वारा कर दी गयी है। लेबर सेस के मद में आवेदक द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या- "599002" धनराशि ₹ 49,000.00 (₹ 49 हजार मात्र) "30प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" के पक्ष में प्रस्तुत कर दिया गया है। मानचित्र में लगायी गयी शर्तें मानचित्र के अग्रभाग पर चस्पा कर दी गयी हैं एवं वाद निम्न शर्तों के अनुसार शमन किया जाता है।

1. मानचित्र स्वीकृति भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त होना मान्य होगा।
2. प्रस्तावित विन्यास क्षेत्र का अनुरक्षण आवेदक द्वारा तब तक किया जाता रहेगा, जब तक सम्बन्धित नगर पालिका/सक्षम संस्था को हस्तान्तरण नहीं कर दिया जाता एवं उक्त हस्तान्तरण की जिम्मेदारी आवेदक/विकासकर्ता की होगी।
3. शासनादेश के अनुसार नियमानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
4. शासनादेश के अनुसार नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा।
5. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम का नियमानुसार प्राविधान करना होगा।
6. समस्त आन्तरिक विकास कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
7. भविष्य में बढ़े हुए विकास शुल्क अथवा अन्य शुल्क की मांग की जाती है तो वह आवेदक/विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
8. भविष्य में प्राप्त होने वाले शासनादेशों/बोर्ड बैठकों के निर्णयों के अनुपालन करना होगा।
9. पृथक-पृथक भूखण्डों पर निर्माण हेतु अलग से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
10. स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में श्रम विभाग के नियमों एवं शासनादेशों का पालन करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
11. प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राधिकरण से सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
12. सीवर का निस्तारण तलपट मानचित्र में प्रस्तावित एस.टी.पी. के माध्यम से होगा। एस.टी.पी. में सीवर का निस्तारण उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक अनुसार करना होगा।
13. नगर निगम मथुरा-वृन्दावन मथुरा के अनापत्ति पत्र संख्या 192/नजूल/2020-21 दिनांक 16.02.2021 की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

उक्त वाद उ०प्र० नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत प्रशमन किया जाता है। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का प्रमाण नहीं होगी।

उपाध्यक्ष
मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण
मथुरा

